भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2736

उत्तर देने की तारीख 19 दिसम्बर, 2023
28 अग्रहायण, 1945 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम

2736. श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्टेडियमों की स्थापना सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत, यह मंत्रालय खेल उपकरण सहित खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल, जैसी बुनियादी खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है।

अब तक, इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 341 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत संस्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.inऔर http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****